राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी, 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक:एफ13()मु.अनु.कोचिंग/मैरिट2025–26/सान्याअवि/25/08399/ जयपुर, दिनांक :यथा–ईहस्ताक्षरित

निदेशक/एमडी/अध्यक्ष/प्रभारी,
....,
....
....

विषय : मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सत्र 2025–26 हेतु जारी मुख्य मैरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों को कोचिंग संस्थाओं में ज्वॉईन करवाये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सत्र 2025–26 हेतु विभाग द्वारा सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं में निःशुल्क कोचिंग किये जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों का विभागीय जिलाधिकारियों के जॉच/सत्यापन उपरान्त अनुमोदित आवेदन पत्रों की प्रोविजनल मैरिट सूची जारी की गई थी। सम्बधित अभ्यर्थी की एसएसओ आईडी पर उसको आवंटित कोचिंग सस्थान मेंं ज्वॉईन करना चाहता है तो Opt in, अगर ज्वॉईन नहीं करना चाहता है तो Opt out, जो अभ्यर्थी अपग्रेड चाहते है वे अपग्रेड, यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई भी विकल्प का चयन नही किया जाता है तो, उनकी कोचिंग संस्थान में ज्वॉईन करने की सहमति मानी गई है।

अभ्यर्थियो ं द्वारा चुन े गये विकल्प के अनुसार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सत्र 2025–26 की मुख्य मैरिट सूची जारी कर आपकी एसएसओ आईडी पर प्रदर्शित करवा दी गई है।

Signature valid
Digitally signed by Naseem Khan
Designation : Additional Director
Date: 2026.01.02 1?:31:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19706553

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि योजनान्तर्गत आपकी संस्थान के पंजीकृत ऐसे सभी कोचिंग केन्द्र जो राजस्थान में संचालित है, उनमें मुख्य मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों को उनकी इच्छानुसार दिनांक 10.01.2026 तक ज्वाईनिंग करवाया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही यह भी निर्देश है कि आपकी संस्थान को आवंटित की गई सीटों को आपके अधीन संचालित कोचिंग केन्द्रों में यथा संभव समुचित अनुपात में सीटे भरी जावें ताकि अभ्यर्थियों को उनके निकटतम स्थानों पर योजनान्तर्गत निःशुल्क कोचिंग का अवसर प्राप्त हो सके और राज्य के अधिकाधिक जिलों तक योजना का कवरेज बढाया जाकर योजना को समावेशी बनाया जा सकें।

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति)

क्रमांकःएफ13()मु.अनु.कोचिंग/मैरिट2025–26/सान्याअवि/25/08399/ जयपुर, दिनांक :यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को योजना के सभी हितधारकों के लिए सूचनार्थ विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग .... को भेजकर लेख है कि आपके जिले की सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं से सम्पर्क कर ऊपर अंकितानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति)

Signature valid

Digitally signed by Naseem Khan
Designation : Additional Director
Date: 2026.01.02 15:31:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19706553

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी, 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

<u>प्रेस नोट</u>

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सत्र 2025–26 हेतु जारी मुख्य मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग संस्थाओं में ज्वॉईनिंग की अंतिम तिथि 10.01.2026

जयपुर, 02 जनवरी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए सत्र 2025–26 हेतु विभाग द्वारा सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं में निःशुल्क कोचिंग किये जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की सम्बधित विभागीय जिलाधिकारियों द्वारा जॉच/सत्यापन उपरान्त अनुमोदित आवेदन पत्रों की प्रोविजनल मेरिट सूची जारी की गई थी, सम्बधित अभ्यर्थी की एसएसओ आईडी पर उसको आवंटित कोचिंग सस्थान मेंं ज्वॉईन करना चाहता है तो Opt in, अगर ज्वॉईन नहीं करना चाहता है तो Opt out, जो अभ्यर्थी अपग्रेड चाहते है वे अपग्रेड, यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई भी विकल्प का चयन नही किया जाता है तो उनकी कोचिंग संस्थान में ज्वॉईन करने की सहमति मानी गई है।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, राजस्थान ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत अभ्यर्थियों द्वारा चुने गये विकल्प के अनुसार सत्र 2025–26 हेतु जारी की गई मुख्य मैरिट सूची विभागीय वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सत्र 2025–26 हेतु जारी मुख्य मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग संस्थाओं में ज्वॉईनिंग की अंतिम तिथि 10.01.2026 निर्धारित की गई है। अतः मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सत्र 2025–26 हेतु जारी मुख्य मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थी की एसएसओ आईडी पर प्रदर्शित कोचिंग संस्थान के प्रदर्शित कोचिंग सेन्टर पर अपनी सुविधानुसार अंतिम तिथि 10.01.2026 तक अपनी उपस्थिति दर्ज करावें।